FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

समदा पुत्र स्व. आबदी खां बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर व अन्य

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 90ए व 90बी (3) भू0 राजस्व अधि. **प्रकरण संख्या** 18/2016

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी 3 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करने हेतु समय चाहा। प्रार्थी/वकील प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 3 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश किये जाने हेतु दिनांक 29.06.2016 की पालना में आज तक नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किए गए है। तत्पश्चात दिनांक 02.08.2016, 17.10.2016, 07.11.2016, 10.01.2017, 21.03.2017, 30.05.2017, 27.06.2017, 01.08.2017, 13.09.2017, 14.11.2017, 23.01.2018, 20.02.2018, 20.03.2018, 17.04.2018, 22.05.2018, 26.06.2018, 31.07.2018, 04.09.2018, 09.10.2018, 06.11.2018, 22.01.2019, 02.04.2019, 25.06.2019, 30.07.2019, 27.08.2019, 01.10.2019, 01.10.2019, 05.11.2019, 10.12.2019, 14.01.2020, 04.08.2020, 13.10.2020, 29.12.2020, 20.07.2021, 31.08.2021, 05.10.2021, 23.11.2021, 01.02.2022, 22.03.2022, 10.05.2022, 14.06.2022, 23.08.2022, 27.09.2022, 25.11.2022, 19.05.2023, 06.10.2023, 05.01.2024, 12.04.2024, 31.05.2024, 12.07.2024 को नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.10.2024 एवं 08.11.2024 को अन्तिम मौका दिये जाने पर अपीलांट/वकील अपीलांट द्वारा नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय प्रभावी आदेशिका दिनांक 08.11.2024 के बावजूद लगभग 50 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 8 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (लोक बंधु) जिला कलक्टर, अजमेर	